न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 01/2018

राज0सरकार जरिये भागचन्द गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक पीसांगन।

..................प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामनारायण पुत्र श्री छोटू माली (वाहन चालक)निवासी ग्राम तबीजी तह0अजमेर
2. श्री सुरज उर्फ शिवशंकर पुत्र श्री चम्पालाल जाट नि0ग्राम तबीजी तह0 अजमेर
3. श्री बहादुर पुत्र श्री रामसुख जाट नि0 इंदिरा कॉलोनी मकरेडा तह0 पीसांगन
4. श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री भँवरलाल जाट नि0 मकरेडा तहसील पींसागन
5. श्री लालाराम पुत्र श्री छगना जी निवासी ग्राम तबीजी तहसील अजमेर
6. श्री शेरसिंह पुत्र श्री शिवकरण निवासी सरमालिया तह0 ब्यावर
7. श्री अनुराग शर्मा पुत्र श्री गुलाबचन्द शर्मा (वैन मालिक) निवासी सदर बाजार मांगलियावास तहसील पींसागन
8. प्रोपराईटर मैसर्स बालाजी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (IOCL बॉटलिंग प्लान्ट) तबीजी अजमेर ।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा — अभिभाषक अप्रार्थी सं0 07

आदेश

दिनांक– 28.05.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2018 को अवैध रिफलिंग की सूचना पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) के निर्देशानुसार प्रार्थी के, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर के साथ पुवाडिया का मार्ग अजमेर–मांगलियावास पर पहूँचने पर पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा रोकी गई मारूती वैन आर.जे. 01 यू.ए. 3028 जिसमें दो घरेलू तथा पांच व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, एक गैस भट्टी चूल्हा मय रेगूलेटर एवं पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉ, अवैध तरीके से एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस ट्रान्सफर करने की बंसरी बरामद की गई। इसी के निकट खडे आई. ओ.सी कम्पनी के ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी./0298 मे से 21 सिलेण्डर सील हटे हुए नीचे बिखरे पडे पाये गये। मौका स्थिति एवं प्राप्त जानकारी मुताबिक दिनांक 6.1.2018 को दिन में 12.40 पर इनवाईस नं0 703444928 के साथ मैसर्स बालाजी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अजमेर का ट्रक आई.ओ.सी प्लान्ट तबीजी से बी.के.एन्टरप्राईजेज पाली के लिए रवाना हुआ। ट्रक ड्राईवर द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रास्ते में अवैध रिफलिंग का काम शुरू कर दिया जिसे पुलिस द्वारा पकड लिया गया। पूछताछ में ट्रक ड्राईवर रामनारायण ने अवैध रिफलिंग किया जाना स्वीकार किया गया। गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं परिवहन पाये जाने पर प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ट्रक में लाये गये 21 घरेलू सिलेण्डर तथा मारूति वैन नं0 आर.जे. 01/यू.ए./3028 से बरामद 7 गैस

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सिलेण्डर (2 घरेलू तथा 5 व्यवसायिक), मारूति वैन, गैस भट्टी, चूल्हा मय रेगूलेटर,पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉं जब्त सरकार कर उक्त सामग्री को राजसात करने के आदेश हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं0 08 स्वयं उपस्थित आये। बरवक्त सुनवाई अप्रार्थीगण/अभिभाषक अप्रार्थीगण 01 से 06 एवं अप्रार्थी सं0 08 उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि दिनांक 07.01.2018 को अवैध रिफलिंग की सूचना पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) के निर्देशानुसार प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर के साथ पुवाडिया का मार्ग अजमेर–मांगलियावास पहूँचे जहॉं पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा डिटेन की गई मारूती वैन आर.जे. 01 यू.ए. 3028 में दो घरेलू तथा पांच व्यवसायिक गैस सिलेण्डर बरामद किये गये। मौके पर एक गैस भट्टी चूल्हा मय रेगूलेटर एवं पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉं, अवैध तरीके से एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस ट्रान्सफर करने की बंसरी भी बरामद की गई थी। इसी के निकट खडे आई.ओ.सी कम्पनी के ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी./0298 मे से 21 सिलेण्डर सील हटे हुए नीचे बिखरे पडे पाये गये। मौका स्थिति एवं प्राप्त जानकारी मुताबिक दिनांक 6.1.2018 को दिन में 12.40 पर इनवाईस नं0 703444928 के साथ मैसर्स बालाजी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अजमेर का ट्रक आई.ओ.सी प्लान्ट तबीजी से बी.के.एन्टरप्राईजेज पाली के लिए रवाना हुआ। ट्रक ड्राईवर द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रास्ते में अवैध रिफलिंग का काम शुरू कर दिया जिसे पुलिस द्वारा पकड लिया गया। पूछताछ में ट्रक ड्राईवर रामनारायण ने अवैध रिफलिंग किया जाना स्वीकार किया गया। गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं परिवहन पाये जाने पर प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ट्रक में लाये गये 21 घरेलू सिलेण्डर तथा मारूति वैन नं0 आर.जे. 01/यू.ए./3028 तथा उक्त वैन से बरामद 7 गैस सिलेण्डर (2 घरेलू तथा 5 व्यवसायिक) गैस भट्टी, चूल्हा मय रेगूलेटर, पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉं और बंसरी को जब्त सरकार किया गया। अतः जब्त उक्त सामग्री, सिलेण्डर व वैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 01 से 06 द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 से 06 को सिरे से अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि सिलेण्डरों को उतारते, चढाते व गिराते समय सील चपडी टूटने से लिकेज हो गये थे पुलिस थाना मांगलियावास एवं प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पूछताछ एवं पहचान के नाम से कागजात प्राप्त कर उक्त झूठी कार्यवाही कर झूठा परिवाद पेश किया गया है, जो खारिज योग्य होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 07 ने मुख्यतः निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध दुर्भावनावश झूठी कार्यवाही की गई है। प्रकरण में नामजद अन्य 6 अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा परिशान्ति बनाये रखने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट पीसांगन में परिवाद पेश किया गया उसमें अप्रार्थी का नाम नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं अप्रार्थी का वाहन मारूति वैन नं0 आर.जे. 01/यू.ए./3028 मौके पर नहीं था। जो कि पुलिस की कार्यवाही एवं धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद से भी स्पष्ट है। फर्द

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

एवं चार्जशीट में भी अप्रार्थी अनुराग शर्मा का नाम नहीं है एवं ना ही हस्ताक्षर है। जब्त ट्रक को रिलीज कर दिया गया है। मारूति वैन अप्रार्थी का जीविकार्पाजन का साधन है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिवाद को अप्रार्थी के विरूद्ध खारिज फरमाते हुए वाहन मारूति वैन नं0 आर.जे. 01/यू.ए./3028 को मय दस्तावेज के अप्रार्थी के सुपुर्द करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा दिनांक 07.01.2018 को अप्रार्थीगण को घरेलू गैस सिलेण्डर से भरे ट्रक से अवैध रिफलिंग करते हुए पकडा गया। प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी को कार्यवाही के दौरान प्लान्ट से ट्रक में लाये गये सिलेण्डरों में से 21 घरेलू सिलेण्डर मौके पर नीचे बिखरे पडे हुए मिले, जिनकी सील हटी हुई थी। मौके से मारूति वैन नं0 आर.जे. 01/यू.ए./3028 में 7 गैस सिलेण्डर (2 घरेलू तथा 5 व्यवसायिक) तथा गैस भट्टी, चूल्हा मय रेगूलेटर, पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉ और बंसरी भी बरामद की गई। इससे साबित होता है कि आरोपियों द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से कॉमर्शियल गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरने का कार्य किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियम)आदेश 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये उक्त वर्णित समस्त सामग्री 21 घरेलू सिलेण्डर तथा मारूति वैन नं0 आर.जे. 01/यू.ए. /3028 से बरामद 7 गैस सिलेण्डर (2 घरेलू तथा 5 व्यवसायिक) गैस भट्टी, चूल्हा मय रेगूलेटर, पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉ और बंसरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः उपरोक्त जब्त गैस सिलेण्डरों के पेटे जमा अमानत राशि सम्बन्धित कम्पनी/एजेन्सी से वसूल कर राजकोष में जमा कराई जावे, साथ ही सम्बन्धित गैस कम्पनी को निर्देशित किया जाता है कि गैस सिलैण्डरो के परिवहन दौरान उपरोक्त अनुसार गैस सिलेण्डरो से गैस का दुरूपयोग किसी भी कदर से नहीं हो, इसके लिए उचित व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित कर इस न्यायालय को की गई कार्यवाही से अवगत करावें। जब्त वाहन मारूति वैन नं0 आर.जे. 01/यू.ए./3028 को अवैध रिफलिंग एवं परिवहन के उपयोग में लाये जाने कारण रूपये 50,000/- अक्षरे पचास हजार शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी द्वारा शास्ति राशि जमा कराने पर जब्त वाहन RJ 01-UA-3028 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो बाद संतुष्टि के सम्बंधित को सुपुर्द कर दिया जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

VMSharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner